# राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था
## पंत कृषि भवन, जनपथ जयपुर-302005

क्रमांक एफ 2( )बीप्रसं/संस्थापन/11/ 10248-80 दिनांक : 28-3-11

**परिपत्र**

रबी 2010–11 के बीज उत्पादक कार्यक्रम की सूचियों का अवलोकन करने पर यह प्रकाश में आया है कि कुछ कृषकों अथवा उनके निजी परिवार जनों को विभिन्न बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा एक अथवा एक से अधिक फसल किस्मों व वर्गो का बीज उत्पादन कार्यक्रम आवंटित किया गया है, ऐसे प्रकरणों के बीज प्रमाणीकरण में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

अतः समस्त इकाई प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि :–

1. ऐसे बीज उत्पादन कार्यक्रम से संबंधित कृषकों के बीज क्षेत्र का मालिकाना हक, लीज दस्तावेज, बीज स्त्रोत आदि का पुनः परीक्षण करें तथा नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज पूर्ण करवाकर ही आगे प्रमाणीकरण की कार्यवाही की जावें।
2. अनुमानित उपज का आंकलन सावधानी से वास्तविक स्थिति के अनुकूल, किया जावें, अनावश्यक रूप से अनुमानित उपज अधिक अंकित नहीं की जावें।
3. फसल कटने के तुरन्त बाद कृषक के गोदाम पर बीज उत्पादक संस्थावार, बीजों का भौतिक सत्यापन पूर्ण पारदर्शिता से बीज उत्पादक संस्थाओं के प्रतिनिधि के साथ कमेटी गठित कर सत्यापन सुनिशिचित किया जावें। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्त्ता, तथा बीज उत्पादक संस्थाओं के क्षेत्रीय/मुख्यालय को भी आवश्यक रूप से भिजवायी जावें।

उक्त विषय को गंभीरता से लेते हुए यथावश्यक कार्यवाही सुनिशिचित की जावें।

10248-80
28-3-11

(हस्ताक्षर)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, कृषि राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रबंधक निदेशक, RSSC जयघुर।
3. क्षेत्रीय प्रबंधक, NSC जयपुर।
4. बीज राज्य विपणन प्रबंधक, कृभकों, जयपुर।
5. मुख्य बीज उत्पादन प्रबंधक, तिलमसंघ, कोटा।
6. मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, जयपुर।
7. बीज प्रमाणीकरण अधिकारी (गु0नि0)/बीज प्रमाणीकरण अधिकारी (जैविक), मुख्यालय जयपुर।
8. समस्त इकाई प्रभारी अधिकारी RSSOPCA ..................................
   एवं मुख्यालय प्रभारी ..............................

(हस्ताक्षर)
निदेशक